स्वजलधारा

क्या सबको पानी मिलेगा?

रेखा कृष्णन

भारत के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के मकसद से तमाम नीतियां बनी हैं और कार्यक्रम चलाए गए हैं - मसलन, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम 1991 में बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया था। इसके अलावा त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम भी चलाया गया। इस केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मकसद यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 40 लीटर सुरक्षित पेयजल मिल पाए और 30 लीटर पानी प्रति पशु भी उपलब्ध हो पाए। लक्ष्य यह था कि हर 250 व्यक्तियों पर एक जल स्रोत हो, मैदानी इलाकों में हरेक बस्ती के 1.6 किलोमीटर के दायरे में और पहाड़ी इलाकों में 100 मीटर की चढ़ाई के अंदर पेयजल स्रोत हो।

हाल ही में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने राष्ट्र संघ जनसंख्या कार्यक्रम के वित्तीय सहयोग से यह जानने के लिए एक अध्ययन किया कि पानी और जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का क्या असर होता है। टेरी के अध्ययन से पता चलता है कि उपरोक्त कार्यक्रमों का असर तो हुआ है मगर सचमुच परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन स्थानों पर पानी सम्बंधी योजनाएं तैयार भी हुई हैं वहां भी कई अन्य कारक ऐसे हैं जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं आने देते। अध्ययन में 4 ज़िलों के 20 गांवों को शामिल किया गया था - सोलन (हिमाचल), तिरुअनंतपुरम (केरल), रायचूर (कर्नाटक) और बीकानेर (राजस्थान)।

अध्ययन में करीब 350 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और विभिन्न समूहों (जैसे महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों तथा स्वास्थ्यकर्मियों) से चर्चा भी की गई। मूलतः निम्नलिखित मुद्दों पर जानकारी एकत्रित करके विश्लेषण किया गया: जनांकिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पानी की ज़रूरत, उपलब्धता और उपभोग; पानी प्राप्त करने में लगा श्रम, महिलाओं व बच्चों की भूमिका, पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों के एहसास और परीक्षण और पानी की गुणवत्ता का स्वास्थ्य से सम्बंध। हर जगह पानी की अम्लीयता, क्षारीयता, फ्लोराइड, अवशिष्ट, क्लोरीन, क्लोराइड, गंदलापन, नाइट्रेट, फॉस्फोरस, लौह और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के परीक्षण भी किए गए। इस अध्ययन से पानी की समस्या व उसके प्रभाव को लेकर कई बातें पता चलती हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में और यहां तक कि एक ही क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में ये समस्याएं काफी अलग-अलग स्तर व प्रकृति की हैं।

लगभग सभी सर्वेक्षित गांवों में पानी की कमी की बात तो सामने आई मगर यह भी पता चला कि अलग-अलग क्षेत्रों में स्थिति बहुत अलग-अलग है। मसलन बीकानेर और रायचूर के गांवों में तो पीने के पानी का भी घोर अभाव था जबकि सोलन में प्रमुख समस्या सिंचाई के पानी की थी। अचरज की बात यह है कि तिरुअनंतपुरम में सामान्यतः पर्याप्त पानी है मगर यहां भी कुछ परिवारों ने पानी के अभाव की बात कही।

सर्वेक्षण से पता चला कि जहां तिरुअनंतपुरम में नज़दीकी जल स्रोत से परिवारों की औसत दूरी 60 मीटर है, वहीं बीकानेर में यह दूरी 6 किलोमीटर है। नतीजा यह है कि तिरुअनंतपुरम में एक परिवार को पानी प्राप्त

करने में प्रतिदिन 15 मिनट लगते हैं, तो बीकानेर में इसी काम में 5-9 घण्टे लगते हैं। पानी की उपलब्धता कम होने का असर पानी की खपत पर भी पड़ता है। लगभग सभी मामलों में देखा गया कि पानी की खपत अनुशंसित 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से काफी कम थी। तिरुअनंतपुरम में प्रति व्यक्ति 25 लीटर पानी की खपत थी तो बीकानेर, सोलन व रायचूर में लोग 7-15 लीटर में ही काम चला रहे थे।

रायचूर, सोलन और बीकानेर के सभी सर्वेक्षित गांवों में पानी लाने का बोझ महिलाओं व बच्चों (प्रायः लड़कियों) पर होता है। ये लोग प्रतिदिन कई घण्टे इस काम में लगाते हैं। अधिकांश महिलाओं ने पीठ दर्द की शिकायत की और इसका सम्बंध पानी भरे भारी-भारी घड़ों (तथा ईंधन) के बोझ से बताया। रायचूर में लोगों ने यह भी बताया कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि उन्हें घर के काम में हाथ बंटाना होता है; घर के काम का एक बड़ा हिस्सा पानी लाने का होता है। बीकानेर में देखा गया कि कुछ सम्पन्न परिवार पानी पर प्रति माह 250 रुपए तक खर्च करते हैं। इन परिवारों ने पानी भरने के कुण्ड बनाने के लिए 6000 रुपए तक खर्च किए हैं। दूसरी ओर, गरीब परिवार इस समस्या से निपटने की दूसरी रणनीति अपनाते हैं - वे कम पानी में ही काम चला लेते हैं। कभी-कभी तो पांच-छह लोगों का परिवार रोज़ाना 10 लीटर से भी कम पानी में गुज़ारा करता है।

पानी की गुणवत्ता भी एक गम्भीर चिंता का विषय है। जिन 20 नमूनों की जांच की गई उनमें से मात्र 3 (रायचूर में एक और तिरुअनंतपुरम में दो) भारतीय मानक संस्थान के पेयजल मानकों पर खरे उतरे। शेष 17 नमूनों में से अधिकांश में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए। ऐसे में यह कोई अचरज की बात नहीं है कि सोलन, बीकानेर और रायचूर के गांवों में दस्त एक आम शिकायत है। मगर चिंता की बात यह है कि रायचूर के अलावा दो गांवों में लोग दस्त को एक जलवाहित रोग नहीं मानते। यह भी देखा गया कि कुछ जगहों पर पानी को उबालकर पीने की प्रथा के कारण वहां दस्त का प्रकोप कम था।

पानी के अभाव की परिस्थिति पर कई कारकों का प्रभाव देखा गया। इनमें से कुछ की चर्चा आगे की गई है।

प्राकृतिक कारक - मसलन बीकानेर व रायचूर में सूखा या अर्द्ध-सूखा जैसी हालत है। सोलन में पहाड़ियों के कारण पानी लाना काफी मेहनत का काम है। इसी प्रकार से तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण तिरुअनंतपुरम में कुओं में खारा पानी आ जाता है।

जनांकिक कारक - सभी सर्वेक्षित बस्तियों में देखा गया कि जनसंख्या का दबाव एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका असर प्रति व्यक्ति उपलब्ध पानी पर तो पड़ता ही है, साथ में पानी की गुणवत्ता पर भी होता है। क्योंकि एक ही स्रोत का उपयोग पेयजल के लिए भी होता है और नहाने-धोने के लिए भी। कुछ जगहों तो मवेशी भी उसी स्रोत का उपयोग करते हैं।

सामाजिक आर्थिक कारक - गरीबी निश्चित तौर पर पानी के संकट को और गहरा बनाती है क्योंकि गरीब परिवार पानी के भंडारण, एकत्रीकरण और शोधन में निवेश नहीं कर पाते। इसके अलावा जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो पानी तक पहुंच को प्रभावित करता है।

स्कीम की समस्याएं - देखा गया है कि मौजूदा जल प्रदाय स्कीमों में कई अड़चनें हैं - (1) कई स्थानों पर जनसंख्या के हिसाब से जल स्रोत कम हैं, जैसे कहीं-कहीं एक कुएं पर सवा सौ परिवार आश्रित हैं। (2) कई जगहों पर बिजली की अनिश्चितता का असर जल प्रदाय पर होता है। (3) रख-रखाव का अभाव है।

अन्य समस्याएं - स्वच्छता की घटिया हालत और पानी का अभाव एक-दूसरे के असर को बढ़ाने का काम करते हैं। और दोनों का ही असर सेहत पर पड़ता है।

स्वजलधारा

स्वजलधारा भी एक नेकनीयत योजना है जो कई

वायदे करती है। क्या यह उन वायदों को पूरा कर पाएगी जो पूर्ववर्ती योजनाएं नहीं कर पाईं? बताया गया है कि स्वजलधारा के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं - (1) इसका तरीका मांग-आधारित और समुदाय की भागीदारी - आधारित है; (2) सारी पेयजल योजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन, रख-रखाव, प्रबंधन पंचायतों/ समुदायों द्वारा किया जाएगा; (3) पूंजीगत लागत का कुछ हिस्सा समुदाय द्वारा वहन किया जाएगा; (4) पेयजल सम्बंधी समस्त जायदाद का स्वामित्व पंचायत के अधीन होगा; और (5) संचालन व रख-रखाव पूरी तरह उपयोगकर्ताओं/पंचायतों द्वारा किया जाएगा।

पानी सम्बंधी योजनाओं की लागत व अन्य सभी पहलुओं में स्थानीय समुदाय की भागीदारी देश में जल संकट को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मगर इस पूरे उद्यम की जटिलता को देखते हुए ज़रूरी है कि इसमें सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं और गांववासियों की संयुक्त पहल हो। स्थानीय प्राथमिकताओं, तौर-तरीकों तथा आशंकाओं से परिचित होने और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं की सहभागिता ज़रूरी है। सीमित संसाधनों के मद्देनज़र बेहतर यह होगा कि प्रत्येक राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों - पेयजल, घरेलू उपयोग व सिंचाई - के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करे।

जैसा कि उपरोक्त सर्वेक्षण से पता चलता है, स्वजलधारा को एक सार्थक पहल बनाने के लिए कई मुद्दों का समाधान ज़रूरी है, तभी यह योजना जल संकट से सर्वाधिक त्रस्त लोगों की मदद कर पाएगी। इसके लिए स्वजलधारा योजना का दायरा विस्तृत करना होगा तथा इसके साथ कई अन्य पूरक कार्यक्रम लागू करना होंगे। मसलन, यदि रख-रखाव की समुचित व्यवस्था न हो और नियमित बिजली सुनिश्चित न की जाए, तो पानी की योजनाएं असरहीन रह जाती हैं। इसके अलावा,

पहले की ही तरह, पानी सम्बंधी योजनाओं के साथ स्वच्छता सुविधाएं भी मुहैया करवानी होंगी।

स्वीकार्य गुणवत्ता वाला पेयजल तथा साथ में बेहतर स्वच्छता उपलब्ध हो, तो जल वाहित रोगों, खासकर दस्त, का प्रकोप कम होगा मगर यह तभी सम्भव है जब दस्त के रोगाणु के फैलने के सारे रास्ते भी बन्द किए जाएं। मसलन, अनुपयुक्त ढंग से भंडारित पानी का उपयोग, हाथ न धोना, बच्चों की उचित देखभाल का अभाव वगैरह जैसे कारणों से दस्त का रोगाणु फैलता है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी आवश्यक हैं। देखा गया है कि प्रायः छोटी-छोटी लड़कियों को भारी घड़े उठाने पड़ते हैं। पानी सप्लाई बेहतर हो, तो उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी। इससे मिलने वाले लाभ को जारी रखने के लिए ज़रूरी होगा कि इन लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल हों।

गांववासियों से बातचीत के दौरान पता चला कि जब पानी आसानी से मिलने लगता है, तो लोग पानी का मोल नहीं समझते। नतीजतन बर्बादी शुरू हो जाती है। लिहाज़ा इस संसाधन के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करने और संरक्षण के तौर तरीके लागू करने की भी ज़रूरत होगी। यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी की सप्लाई उसकी कुदरती उपलब्धता पर निर्भर है। टेक्नॉलॉजी के ज़रिए पानी की सप्लाई बढ़ाई तो जा सकती है मगर एक सीमा तक ही। लिहाज़ा जल प्रबंधन का एक अहम मुद्दा मांग के प्रबंधन का है। यदि केंद्र व राज्य सरकारें गांव/ब्लॉक पंचायत और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर स्वजलधारा को समग्र ग्राम विकास का एक अभिन्न अंग नहीं बनातीं और इसे स्थानीय ज़रूरतों व प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं ढालतीं, तो शायद यह योजना कामयाब नहीं होगी। *(स्रोत फीचर्स)*